राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com,

पत्रांकः—आर0एम0पी0यू0/1815/2024 दिनांकः— 03,सितम्बर, 2024

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त महाविद्यालय,
संबद्ध राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय,
अलीगढ।

विषयः—वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024—25 अन्य पिछडा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछडे वर्ग को छोडकर) दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पिछडे वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक संलग्न प्रमुख सचिव, पिछडा वर्ग कल्याण विभाग एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र सं0542/64—2—2024 दिनांक 16.08.2024 तथा संयुक्त सचिव, पिछडा वर्ग कल्याण अनुभाग—2 के पत्र सं0— आई/ 16911524 /2024 /64 —2010 (099) /1/2024 दिनांक 12.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय
03/09/24
(अजय कृष्ण यादव)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी आगरा/अलीगढ।
2. प्रो0 एस0के0 रावत, नोडल अधिकारी, समर्थ/डिजी शक्ति/AISHE,राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
3. प्रो0 शान्तिस्वरूप, नोडल अधिकारी, छात्रवृत्ति, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
4. निजी सचिव, मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
5. सम्पादक, समस्त समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ कि उक्त महत्वपूर्ण सूचना को अपने सम्मानित दैनिक समाचार पत्र में छात्रहित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. अधिकृत एजेंसी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित (संलग्न सूची) सम्बद्ध महाविद्यालयों के लॉगिन आई0डी0 एवं विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. गार्ड फाईल।

03.09.24
उप कुलसचिव

V letter

Scanned with OKEN Scanner

सुभाष चन्द शर्मा
आई.ए.एस.
प्रमुख सचिव

संख्याः 542/64-2-2024
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग
कक्ष सं0 301, बापू भवन
उत्तर प्रदेश सचिवालय
लखनऊ-226001
कार्यालय : 0522-2238063/2214657
ई-मेल : secretarywhd@gmail.com,
backwardwelfare12@gmail.com

दिनांक 16.8.24

महोदय,

अवगत कराना है कि विगत वर्षों की भाँति उत्तर प्रदेश **पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग** द्वारा संचालित **दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना** के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन किए जाने की समय-सारिणी निर्गत की जा चुकी है (प्रति संलग्न)। तद्नुसार शिक्षण संस्थाओं के मास्टर डाटाबेस तैयार किए जाने इत्यादि की कार्यवाही इस समय चल रही है। आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों के निदेशक/प्राचार्यों को छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की **समय-सारिणी** के अनुसार आवश्यक कार्यवाहियां सुनिश्चित किए जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित/सूचित करने का कष्ट करें, ताकि सभी पात्र छात्र/छात्राएं समय से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन कर सकें।

2- विगत वर्षों में कई बार संज्ञान में आया है कि **विश्वविद्यालय के नामित नोडल अधिकारी** स्तर/सम्बन्धित शिक्षण संस्थान के स्तर से छात्रों द्वारा आवेदन करने, विश्वविद्यालय द्वारा फीस एवं सीट सत्यापन किए जाने, शिक्षण संस्थाओं द्वारा मार्क्स इत्यादि तथ्यों का सत्यापन करते हुए अग्रसारण करने इत्यादि कार्यवाहियां करने में विलम्ब कर दिया जाता है, जिसके कारण कई बार पात्र छात्र छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। अतः अनुरोध है कि आपके विश्वविद्यालय के छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु नामित नोडल अधिकारी को भी सतर्क करते हुए निर्देशित करने का कष्ट करें, कि छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही/गतिविधियों को निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराने का कष्ट करें।

3- यह भी अवगत कराना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष से पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत **समूह-1 में आने वाले पाठ्यक्रम** (प्रति संलग्न) से सम्बन्धित छात्र/छात्राओं की दैनिक उपस्थिति **आधार बेस्ड बायोमैट्रिक/फेशियल ऑथेन्टिकेशन एटेन्डेन्स सिस्टम** के तहत किया जाना अनिवार्य है। अगले वित्तीय वर्ष से शेष समूह-2, 3 एवं 4 के पाठ्यक्रमों के लिए भी इसी प्रकार उपस्थिति दर्ज किया जाना आवश्यक होगा। अतः अनुरोध है कि कृपया अपने विश्वविद्यालय कैम्पस, आपसे सम्बन्धित उच्च शिक्षण संस्थाओं इत्यादि में श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड द्वारा संचालित उक्त उपस्थिति प्रणाली को अपने वित्तीय संसाधनों से स्थापित करवाए जाने का कष्ट करें।

Registrar
02/08/2024

Scanned with OKEN Scanner

4- यह भी उल्लेखनीय है कि छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि सम्बन्धित छात्र/छात्राओं के **आधार आधारित बैंक खाता** के माध्यम से वितरित की जाती है। अतः सभी छात्र/छात्राओं के बैंक खाता का **के0वाई0सी0 किया जाना** अत्यावश्यक है। अतः अनुरोध है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं के निदेशक/प्राचार्यों से अनुरोध कर लिया जाए कि वे प्राध्यापकों/कक्षाध्यापकों इत्यादि के माध्यम से छात्र/छात्राओं और उनके अभिभावकों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित सभी आवश्यक प्रक्रिया एवं व्यवस्थाओं से भली-भाँति अवगत करा दें, ताकि कोई भी पात्र छात्र/छात्रा वंचित न रह सके।

मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपके सहयोग एवं सकारात्मक प्रयासों से सभी पात्र छात्र/छात्राओं को नियमानुसार अनुमन्य छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा से लाभान्वित किया जा सकेगा।

संलग्नक: यथोक्त।

सादर,

भवदीय,

16/08/24

(सुभाष चन्द शर्मा)

प्रो0 चन्द्रशेखर,
कुलपति,
राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय,
अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, खेलकूद एवं न्याय विभाग, उ0प्र0 शासनः- उक्त अर्द्धशासकीय पत्र की प्रति आपके सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आप भी अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द शर्मा)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-आई/69/524/2024/64-2010(099)/1/2024

प्रेषक,

संजय कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 12-07-2024

विषयः वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछडे वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर कक्षाओं में (कक्षा 11-12 को छोड़कर) अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-723/पि0व0क0/2024-25, दिनांक 03 जुलाई, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर कक्षाओं में (कक्षा 11-12 को छोड़कर) अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2 - उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा 11-12 को छोड़कर), (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के छात्र/छात्राओं हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय-सारिणी निर्गत की जा रही है :-

क्र0 सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
	मास्टर डाटा सत्यापित तथा लॉक करने की कार्यवाही	
1	**शैक्षणिक संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण करनाः-** • प्रदेश में संचालित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिए आवेदन की कार्यवाही शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेन्सी के माध्यम से करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी स्तर से संस्थान हेतु पासवर्ड प्राप्त करना।.(शैक्षणिक संस्थान स्तर) • मास्टर डाटा में पूर्व सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार अनुमोदित सीटों की संख्या, सक्षम स्तर पाठ्यक्रवार निर्धारित शुल्क, एफिलिएटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि अंकित/अपडेट कर नोडल अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित कर लॉक किया जाना। **(शैक्षणिक संस्थान/एफिलिएटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय स्तर)**	**15 जुलाई, 2024 से 20 अगस्त, 2024 तक।**
2	विश्वविद्यालय/ एफिलिएटिंग एजेन्सी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा	**16 जुलाई, 2024**

Scanned with OKEN Scanner

	फीस आदि का सत्यापनः- • प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/ एफिलिएटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्थान की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को आनलाइन पोर्टल पर अंकित एवं सत्यापित कर डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन लॉक किया जाना। **(शैक्षणिक संस्थान/एफिलिएटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय स्तर)**	**से 30 अगस्त, 2024 तक।**
3	**जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा मास्टर डाटा तथा फीस आदि का सत्यापनः-** • प्रदेश के अन्दर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित एवं सत्यापित कर डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन लॉक किया जाना। किसी पाठ्यक्रम की निर्धारित शुल्क की भिन्नता की स्थिति में जिला छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति की बैठक में अनुमोदनोपरान्त मास्टर फीस पोर्टल पर लॉक की जायेगी। **(पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी स्तर)** **नोट- शिक्षण संस्थानों का मास्टर डाटा समस्त स्तर से सत्यापित एवं लॉक होने के उपरान्त ही संस्था आवेदन करने वाले छात्रों का आवेदन अग्रसारित कर सकेगी।**	**16 जुलाई, 2024 से 15 सितम्बर, 2024 तक।**
4	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन तथा भुगतान की प्रक्रियाः- • वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु छात्रों द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत (11-12 को छोड़कर) आनलाइन आवेदन की समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर फाइनल सबमिट आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट निकाल कर समस्त अभिलेखों सहित उसकी हार्डकॉपी शिक्षण संस्था स्तर पर जमा कराया जाना। **(छात्र स्तर)**	**20 जुलाई, 2024 से 20 नवम्बर, 2024 तक।**
5	**शिक्षण संस्थान स्तर से छात्रवृत्ति आवेदन पत्र को सत्यापित एवं अग्रसारित किया जानाः-** • संस्था में अध्ययनरत तथा छात्रवृत्ति पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों द्वारा आवेदन में अंकित समस्त तथ्यों का अभिलेखीय सत्यापन करते हुए, निर्धारित उपस्थिति मानक पूर्ण करने वाले पात्र छात्रों का आवेदन सत्यापित कर अग्रसारित किया जाना तथा अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त किया जाना। (शिक्षण संस्थान स्तर) • छात्र के आवेदन के उपरान्त राज्य एन0आई0सी0 द्वारा छात्र के आधार सीडेड बैंक खातों के विवरण को पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड करते हुए बेनीफिशियरी का रिस्पॉस प्राप्त किया जाना। **(राज्य एन0आई0सी0 स्तर)**	**15 सितम्बर, 2024 से 24 नवम्बर, 2024 तक।**
6	विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेन्सी द्वारा रिजल्ट अपलोड किया जाना।	**25 नवम्बर, 2024 तक।**
7	राज्य एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी किया जानाः-	**25 नवम्बर, 2024**

Scanned with OKEN Scanner

	• पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से सत्यापनोपरान्त प्राप्त छात्रवृत्ति आवेदन के डाटा को विभाग द्वारा प्रदान कराये गये बिन्दुओं के आधार पर परीक्षण करते हुए शुद्ध तथा संदेहास्पद डाटा को अलग किया जाना तथा शुद्ध डाटा को सत्यापन हेतु जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध कराया जाना। **(राज्य एन0आई0सी0 स्तर)**	से **05** दिसम्बर, **2024** तक।
8	**संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण आवेदनों को छात्रों के स्तर पर सही कराते हुए पुनः संस्था स्तर से अग्रसारित किया जानाः-** • संदेहास्पद आवेदनों में दृष्टिगत त्रुटियों को सुधारने हेतु छात्रों के लॉगिन में आवेदन को पुनः प्रदर्शित किया जाना तथा छात्रों द्वारा संदेहास्पद आवेदन की त्रुटियों को शुद्ध करते हुए पुनः शिक्षण संस्थान स्तर पर आवेदन की हार्डकॉपी तथा सम्बन्धित अभिलेख जमा करते हुए शिक्षण संस्थान स्तर से पुनः अग्रसारित कराया जाना। **(राज्य एन0आई0सी0/छात्र स्तर/शिक्षण संस्थान स्तर)**	**06** दिसम्बर, **2024** से **12** दिसम्बर, **2024** तक।
	• शिक्षण संस्था स्तर से छात्रों द्वारा संशोधित किये गये आवेदनों में से पात्र छात्रों का आवेदन पुनः सत्यापित कर अग्रसारित किया जाना तथा अपात्र/त्रुटिपूर्ण आवेदनों को संस्था स्तर से ही निरस्त किया जाना। **(शिक्षण संस्थान स्तर)**	**06** दिसम्बर, **2024** से **15** दिसम्बर, **2024** तक।
9	**राज्य एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्क्रूटनीः-** • छात्रों द्वारा संदेहास्पद डाटा में से संशोधित किये गये आवेदनों को राज्य एन0आई0सी0 द्वार विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण कर संदेहास्पद तथा शुद्ध डाटा के रूप में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध कराया जाना। **(राज्य एन0आई0सी0 स्तर)**	**16** दिसम्बर, **2024** से **24** दिसम्बर, **2024** तक।
10	**जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति द्वारा सत्यापनोपरान्त डाटा लॉक कराया जानाः-** • जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा राज्य एन0आई0सी0 द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध कराये गये शुद्ध तथा संदेहास्पद डाटा का परीक्षण करते हुए जिला छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के अनुमोदनोपरान्त पात्र छात्रों का आवेदन सत्यापित कर अग्रसारित किया जाना तथा अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त किया जाना। **(जिला छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति स्तर)**	**06** दिसम्बर, **2024** से **10** जनवरी, **2025** तक।
11	**राज्य एन0आई0सी0 स्तर से मांग सृजन किया जानाः-** • जनपद स्तरीय समिति तथा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी स्तर से सत्यापित तथा लॉक डाटा के आधार पर राज्य एन0आई0सी0 द्वारा निदेशालय की लॉगिन/पोर्टल पर मांग उपलब्ध कराया जाना। **(राज्य एन0आई0सी0 स्तर)**	**15** जनवरी, **2025** तक।
12	**निदेशालय स्तर से धनराशि का अन्तरणः-** • जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम	**20** जनवरी, **2025** तक।

Scanned with OKEN Scanner

	से छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/ एन0पी0सी0आई0 से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित किया जाना। **(निदेशालय स्तर)**	

3- नियमावली में समस्त हितधारकों द्वारा उपरोक्त समय-सारिणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ-साथ निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :-

1- शिक्षण संस्था में अध्ययनरत छात्र, अपने छात्रवृत्ति आवेदन का नवीनीकरण तभी करेंगे जब उनका वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर प्रणाली होने पर दोनों सेमेस्टर के परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त अगली कक्षा में नियमानुसार प्रवेश पूर्ण कर लिया हो तथा शिक्षण संस्था केवल उन्हीं आवेदनों को अग्रसारित कर सकेगी, जिसमें छात्र तथा संस्था द्वारा अंकित प्राप्तांक/पूर्णांक में समानता होगी।

2- यदि निर्धारित समयान्तर्गत परीक्षाफल घोषित नहीं हुआ है, तो छात्र रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर (परीक्षाफल घोषित नहीं) का विकल्प चुनते हुए आवेदन कर सकेंगे लेकिन ऐसे समस्त आवेदन शिक्षण संस्थान स्तर पर लंबित रहेंगे, उन्हें शिक्षण संस्था द्वारा अग्रसारित केवल उक्त परिस्थिति में जबकि सम्बन्धित पाठ्यक्रम का परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त छात्र द्वारा अपने वास्तविक प्राप्तांक एवं पूर्णांक का अंकन कर समस्त अभिलेख शिक्षण संस्था स्तर पर उपलब्ध करा देगा।

3- शिक्षण संस्थान का मास्टर डाटा समस्त स्तर से सत्यापित एवं लॉक होने के उपरान्त ही शिक्षण संस्थाएं अपने यहां अध्ययनरत तथा आवेदन करने वाले छात्रों का आवेदन आनलाइन अग्रसारित कर सकेंगे।

4- ऐसे छात्रवृत्ति आवेदन जो किसी भी त्रुटि के कारण (प्राप्तांक, पूर्णांक या अन्य तथ्य के त्रुटिपूर्ण अंकन के कारण) से शिक्षण संस्थान स्तर पर लंबित हैं, उन्हें छात्र द्वारा अपनी शिक्षण संस्था से रिसेट कराते हुए निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत आनलाइन आवेदन की त्रुटियों का निराकरण किया जा सकेगा।

5- निर्गत समय-सारिणी अनुसार निर्धारित किये गये दायित्वों तथा की जाने वाली कार्यवाही को समयान्तर्गत पूर्ण किये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्र/शिक्षण संस्था/एफिलिएटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय का होगा।

5- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशों/छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के दशमोत्तर कक्षाओं में (कक्षा 11-12 को छोड़कर) अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Signed by
(Sanjai Kumar Dubey
Date: 12-07-2024 19:08:58
(संजय कुमार दुबे)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

Scanned with OKEN Scanner

8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9- समस्त पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण।
10- प्रबंध निदेशक, श्रीट्रान इंडिया लिमिटेड, लखनऊ।
11- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(संजय कुमार दुबे)
संयुक्त सचिव ।

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट "क"

अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2012 से समूहवार पाठ्यक्रम का विवरण

समूह	पाठ्यक्रम
I	डिग्री व मास्टर डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम एम0फिल0–पी0एच0डी0 समस्त चिकित्सा पद्धति के पाठ्यक्रम,प्रौद्योगिकी, इंजीनिरिंग, प्लानिंग, आर्किटेक्चर, डिजाइन, फैशन टेक्नालोजी, कृषि, पशुचिकित्सा, एलाइड साइंस, व्यवसाय वित्त, मैनेजमेंट, प्रशासन, कम्प्यूटर साइंस आदि पाठ्यक्रम, सी0पी0एल0 पाठ्यक्रम, मैनेजमेंट चिकित्सा के परास्नातक स्तरीय डिप्लोमा, पाठ्यक्रम, सी0ए0, आई0सी0डब्लू0ए0, सी0एस0, आई0सी0एफ0ए0, एल0एल0एम0, डी0लिट्0, डी0एस0सी0 आदि
II	स्नातक/परास्नातक स्तरीय डिग्री, डिप्लोमा, सार्टिफिकेट पाठ्यक्रम यथा फार्मेसी, नर्सिंग, एल0एल0बी0, बी0एफ0एस0, पैरामेडिकल यथा–पुनर्वास, निदान आदि, मास कम्यूनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, इंटीरियर डेकोरेशन, न्यूट्रेशन एण्ड डाइटेटिक्स, कामर्शियल आर्ट, टूरिज्म हास्पिटैलिटी, फाइनैन्शियल सर्विसेज(ई0जी0बैंकिंग इंश्योरेंस, टैक्सटायेनेटिक) जिसमें न्यूनतम प्रवेश योग्यता इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष हो तथा परास्नातक पाठ्यक्रम जो समूह–1 में सम्मिलित न हो। यथा–एम0ए0/एम0एस0सी0/एम0काम/एम0एड0/एम0 फार्मा आदि
III	समस्त स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम जो समूह–I व II में सम्मिलित न हो, यथा बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0काम आदि
IV	समस्त नान डिग्री स्तरीय कोर्स, जिनमें न्यूनतम प्रवेश योग्यता हाईस्कूल हो, आई0टी0आई0 तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स (पॉलीटेक्निक) आदि

दशमोत्तर छात्रवृत्ति की दरें (मासिक)

क0सं0	समूह	डे स्कालर	हास्टलर
1	I	550	1200
2	II	530	820
3	III	300	570
4	IV	230	380

अन्य भत्ते (एक बार)

क0सं0	विवरण	दर
1	अध्ययन दौरा	1600
2	शोध कार्य के टंकण एवं मुद्रण	1000
3	पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु पुस्तक भत्ता	1200

Scanned with OKEN Scanner